199

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 281–एक/2012 – विरूद्व आदेश दिनांक 16–12–2011 – पारित व्दारा अपर कलेक्टर, श्योपुर – प्रकरण कमांक 35/2010–11 निगरानी

राहुल पुत्र छैल बिहारी शर्मा
ग्राम इच्छना खेड़ली तहसील
व जिला श्योपुर , मध्य प्रदेश ———आवेदक

विरूद्व

1– महावीर पुत्र रामपाल गुर्जर
2– छोटूलाल पुत्र रामपाल गुर्जर
ग्राम इच्छना खेड़ली तहसील व
जिला श्योपुर मध्य प्रदेश ———अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से श्री एस0के0बाजपेयी अभिभाषक)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 18 – 11 – 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 35/10–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16–12–11 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार श्योपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम इच्छना खेड़ी की भूमि सर्वे कमांक 262 मिन 1 रकबा 9 वीघा 13 विसवा पर काविज होना एंव खेती करते चले आना बताते हुये म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया

जाना (विशेष उपबंध अधिनियम) 1984 के अंतर्गत भूमि व्यवस्थापन की मांग की। तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 33/2005–06 अ 19 पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 25–10–07 पारित करके भूमि व्यवस्थापन स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदकगण ने अपर कलेक्टर श्योपुर के समक्ष निगरानी कमांक 35/10–11 प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर श्योपुर ने आदेश दिनांक 16–12–11 से तहसीलदार का आदेश दिनॉक 20–10–2006 निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अनावेदकगण को बार–बार सूचना पत्र भेजे जाने तथा सम्यक सूचना के निर्वहन की जानकारी के अभाव में उन्हें पंजीकृत डाक से भी सूचना भेजी गई, किन्तु वह अनुपस्थित रहे हैं।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि भूमि वर्ष 1972 में आशाराम को दस्यु पीढ़ित होने के आधार पर पटटे पर दी गई थी आशाराम का पटटा निरस्त हुआ उसके बाद आवेदक भूमि पर काविज हुआ है । आवेदक ने नायब तहसीलदार से वास्तविक कब्जे के आधार पर भूमि पर कब्जा दर्ज करने की मांग रखी एंव नायब तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 8/03–04 अ 6 अ मे आदेश दिनांक 8–7–2004 से कब्जा इन्द्राज कराया गया और बाद में आवेदक को पटटा दिया गया है। राजस्व निरीक्षक ने स्थल की जॉच की है और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि पिछले 15–20 वर्षो से छैल विहारी का भूमि पर कब्जा रहा है उसके बाद जब आवेदक का कब्जा प्रमाणित हुआ है तब दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध अधिनियम) 1984 के अंतर्गत भूमि व्यवस्थापन की गई है। आवेदक कृषि श्रमिक है इसका ध्यान नहीं रखा गया है। अपर कलेक्टर ने अनुचित विलम्ब से स्वमेव निगरानी की है। आवेदक के अभिभाषक ने निगरानी स्वीकार कर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करने तथा तहसीलदार का आदेश यथावत् रखने की प्रार्थना की है।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय

के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक व्दारा ग्राम इच्छना खेड़ी की भूमि सर्वे कमांक 262 मिन 1 रकबा 9 बीधा 13 बिसवा पर पिछले 20--25 वर्षो से काविज होना एंव खेती करते चले आना बताते हुये म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध अधिनियम) 1984 के अंतर्गत भूमि व्यवस्थापन की माग की है, जबकि प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि उक्त भूमि वर्ष 1972 में दस्युपीढ़ित आशाराम को आजीविका चलाने के लिये दी गई, किन्तु पटटे की शर्तो का पालन न होने के आधार पर वर्ष 2006 में आशाराम का पटटा निरस्त हुआ है अर्थात वर्ष 2005 तक भूमि आशाराम के नाम शासकीय अभिलेख में अभिलिखित है। जब आशाराम के पटटे का प्रकरण 2006 तक स्वमेव निगरानी में प्रचलित रहा है , वादग्रस्त भूमि के पटटे के सम्बन्ध में स्वमेव निगरानी प्रकरण में अनुचित विलम्ब का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। जैसाकि अपर कलेक्टर व्दारा आदेश दिनांक 16--12--11 में पृष्ठ--4 पर अंकित किया है कि भूमि आबन्टन पर वर्ष 2003 से प्रतिबन्ध है। वर्ष 2006 में तहसीलदार व्दारा भूमि आवंटन करना अधिकार–विहीन कार्यवाही है जिसके कारण अपर कलेक्टर श्योपुर ने प्रकरण कमांक 35 / 10–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16–12--11 से तहसीलदार के आदेश दिनांक 20--10–2006 को निरस्त करने में त्रुटि नहीं की हैं।

5 /   उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर कलेक्टर श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 35 / 10 –11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16--12--11 विधिवत् पाने से यथावत रखा जाता है!

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर